Thank You
110K+
Family
RAM E-GURUKUL

①

राजव्यवस्था का उद्भव

Political philosophy (राजनैतिक दर्शन) → Greek → सुकरात (SOCRATES)

कोई ग्रन्थ/BOOK नही लिखा

शिष्य

प्लेटो (यूनानी)

Greek ↓ (यूनान) ↓ ग्रीस देश ⇒ यूरोप ↓ राजधानी Athens

कोई भी विषय पहले सोच, अनुभव, दर्शन होता है जब इसे Proof /Evidence/सबूत मिल जाता है तब यह विज्ञान बन जाता है।

+ Proof

Political Science (राजनैतिक विज्ञान)

↓

Polity (राजव्यवस्था)

प्लेटो → Institute ⇓ The Academy

प्लेटो → BOOK ⇓ The Republic

The Academy ⇓ अरस्तु (Aristotle) ⟹ प्लेटो का शिष्य

अरस्तु → राजनीतिक विज्ञान का जनक

अरस्तु → BOOK → Politics

अरस्तु → (शिष्य) → सिकंदर (Alexander-III, Alexander the Great) (दार्शनिक नही थे)

NOTE = सुकरात —शिष्य→ प्लेटो —शिष्य→ अरस्तु —शिष्य→ सिकंदर

यूनानी, दार्शनिक सिकन्दर को छोड़कर

②

भारतीय राज्यव्यवस्था

राजव्यवस्था

राज्य / STATE

* द० अमेरिका के देश उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में आयोजन

* मोंटेवीडियो कन्वेंशन (1933)

राज्य के तत्व

① भू भाग / Area
② जनसंख्या / Population
③ सरकार / Government
④ संप्रभुता / Sovereignty
↳ निर्णय लेने की स्वतन्त्रता (देश)
(आन्तरिक व बाह्य (देश से) निर्णय लेने की स्वतन्त्रता देश के पास होना

प्रश्न = क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था ?
उत्तर = नहीं, क्योंकि भारत के पास भूभाग, जनसंख्या, सरकार थी लेकिन संप्रभुता नहीं थी (ब्रिटिश के अधीन के कारण)

व्यवस्था / SYSTEM

नियम / Rules

मौलिक नियमों के समूह को संविधान

* किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिये निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह संविधान कहलाता है।

संविधान के प्रकार

- **दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर**
  - **लिखित संविधान**
    - * दस्तावेज के स्क्वोर (श्रृंखला के रूप में लिखा गया है।
    - जैसे भारतीय संविधान,
    - * अमेरिकी संविधान (दुनिया का पहला लिखित संविधान (1789, 7 अनुच्छेद)
  - **अलिखित संविधान**
    - जैसे ब्रिटेन, कनाडा, इजरायल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब
- **राजनीति की प्रकृति के आधार पर**
  - **एकात्मक संविधान**
    - सारी शक्तियाँ केन्द्र में होती हैं।
    - जैसे ब्रिटिश, फ्रांस
  - **संघीय संविधान**
    - * सारी शक्तियाँ कई भागों में बटा होती हैं।
    - जैसे = केन्द्र, राज्य, आदि
    - अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया

* **Largest Constitution**
  - अनुच्छेद के अनुसार ↓ India ↓ अनुच्छेद = 395
  - शब्दों की संख्या के अनुसार ↓ India
    - Around 1.5lakhs word

* विश्व का नवीनतम संविधान = नेपाल (2015)

* सबसे पुराना संविधान = अमेरिका (1789)

* **Smallest Constitution**
  - अनुच्छेद के अनुसार ↓ USA (अनुच्छेद = 7)
  - शब्दों के अनुसार ↓ देश = Monaco ↓ शब्द = 3814

भारत का संवैधानिक इतिहास (1773-1935)

सन 1450 से पहले भारत से यूरोप के लोगो के लिये आदिकतम मसाले भेजे जाते थे भारत → तुर्की → यूरोप = स्थल मार्ग, उस समय जल मार्ग की खोज नही हुई थी। सन 1450 के आस पास तुर्की (कुस्तुंतुनिया) मे ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ जिससे भारत से यूरोप जाने वाले मसाले बाधित होने लगे (ज्यादा टैक्स के कारण By Turki) साथ-२ सारे विद्वान यूरोप (कुछ इटली कुछ पुर्तगाल) चले गये जहाँ पर सारे विद्वान मिलकर नये-२ आविष्कार और Innovation करने लगे। (जैसे कम्पास) बड़े जहाज अब यूरोप से कई देशो मे जाने के लिये समुद्री मार्गो की खोज होने लगे। इसी समय पुर्तगाल (यूरोप) से एक यात्री वास्कोडिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज करके 1498 मे भारत पहुचा जहाँ पर उसने अपने पूंजी का 60 गुना ज्यादा कमाया और फिरवापस पुर्तगाल लौट गया जहाँ पर इसकी खबर पूरे यूरोप के देशो को लगा कि भारत से व्यापार करने मे बड़ा लाभ है इस तरह पुर्तगाल की पहली एस्तादो द इंडिया भारत आयी और फिर यूरोपियो कम्पनियो का आगमन भारत मे शुरू हो गया था।

भारत मे यूरोपीय कंपनियो के प्रवेश का क्रम

	देश	सन	कम्पनी
①	पुर्तगाल	1498	एस्तादो द इंडिया
②	ब्रिटेन	1600	ईस्ट इण्डिया कम्पनी
③	डच (नीदरलैण्ड)	1602	डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी
④	डेनिश	1616	डेनिश ईस्ट इंडिया कम्पनी
⑤	फ्रांस	1664	फ्रेंच ईस्ट इंडिया कम्पनी

भारत मे यूरोपियो कम्पनी के प्रवेश का क्रम

NOTE = पुर्तगाल, डच, डेनिश फ्रांस की कम्पनियाँ सरकार जबकि ब्रिटेन की कम्पनी ईस्ट इण्डिया प्राइवेट थी (इसलिये भारत मे सफल हुई)

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी (EIC)

↓ बनी

* 31 Dec-1600
* हेडक्वार्टर = लंदन (ब्रिटेन)
* किसने बनाया = JOHN WATT व GEORGE WHITE
* इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी जिन्होने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत से साथ व्यापार करने 15 वर्षीय चार्टर अधिकार पत्र दिया।
* 15 वर्षीय चार्टर = इसका मतलब ब्रिटेन की केवल ईस्ट इण्डिया कम्पनी ही भारत के साथ 15 वर्ष तक व्यापार कर सकती थी और कोई नहीं
* ये अधिकार 1833 की समाप्त हुई
* ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत मे दो युद्धो के बाद स्थापित हुआ

↓ प्लासी = (प. बंगाल का एक गांव, पलाश पेड़ पाया जाता)

प्लासी का युद्ध = 23 June 1757

↓

ROBERT CLIVE (EIC) + बंगाल का नवाब SIRAJ U.D DAULAH

↓ मीर जाफर ने गद्दारी की

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जीता

↓

बंगाल का नवाब बना।

मीर जाफर = PUPPET NAWAB (नाममात्र)

बक्सर = बिहार का गांव

↓

बक्सर का युद्ध (22 Oct 1764)

ईस्ट इण्डिया कम्पनी

↓

हेक्टर मुनरो

संयुक्त सेना

1. मुगल = शाह आलम द्वितीय
2. अवध = शुजा उद दौला
3. बंगाल = मीर कासीम

जीत = ईस्ट इण्डिया कम्पनी

↓

1765 इलाहाबाद की संधि व द्वैध शासन

↓

भारत के प्रथम पेंशनर मुगल शासक = शाह आलम द्वितीय

* द्वैध शासन ⇒ दीवानी अधिकार
  - ↓ सम्पत्ति सम्बन्धी ↓ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास
  - ↓ निजामत अधिकार ↓ शासन सम्बन्धी ↓ शाह आलम द्वितीय के पास

1765 = घोर अंधकार का युग = लोग भूख से मरने लगे

* बक्सर के युद्ध के बाद

1764

↓

1765 इलाहाबाद की सन्धि ⟹ अंग्रेजो के पास आ गये

व

बंगाल की द्वैध शासन

⇓

① भूभाग
② जनसंख्या
③ संप्रभुता
④ सरकार

→ राज्य

↓

नियम

↓

राज्य की व्यवस्था एवं कानून का निर्माण

↓

ब्रिटिश संसद द्वारा → अधिनियम

(प्रस्ताव) Bill
विधेयक संसद मे पारित होने के बाद कानून अधिनियम (Act) कहा जाता है।

भारत की संवैधानिक यात्रा प्रारम्भ

भारत का संवैधानिक इतिहास (1773 – 1935)

ईस्ट इण्डिया कंपनी के द्वारा लागू (1773-1853)

* रेग्युलेटिंग एक्ट (1773)
* एक्ट आफ सेटलमेंट (1781)
* पिट्स इण्डिया एक्ट (1784)
* 1786 का अधिनियम
* चार्टर एक्ट (1793)
* चार्टर एक्ट (1813)
* चार्टर एक्ट (1833)
* चार्टर एक्ट (1853)

(20 साल बाद; +20; +20; +20 साल)

ब्रिटिश क्राउन द्वारा लागू (1858-1947)

* भारत शासन अधिनियम (1858)
* भारत परिषद अधिनियम (1861)
* भारत परिषद अधिनियम (1892)
* भारत परिषद अधिनियम / मार्ले मिण्टो सुधार (1909)
* भारत शासन अधिनियम / मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार (1919)
* भारत शासन अधिनियम (1935)
* अगस्त प्रस्ताव (1940)
* क्रिप्स मिशन (1942)
* वेवेल योजना (1945)
* शिमला सम्मेलन (1945)

} संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरु

* कैबिनेट मिशन (1946)
* माउंटबेटन योजना (3 जून 1947)

NOTE = 1773 से 1853 तक सारे अधीनियम ब्रिटिश संसद बनाती थी और भारत मे लागू ईस्ट इण्डिया कम्पनी करता था

+

1857 की क्रान्ति + सत्ता परिवर्तन

+

1858 से 1947 तक सारे अधीनियम ब्रिटिश संसद बनाती थी और भारत मे लागू भी ब्रिटिश संसद करती थी

रेगुलेटिंग एक्ट (1773)

* ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया
* ब्रिटेन का राजा = जॉर्ज तृतीय (1760 - 1820)
* प्रधानमंत्री = लार्ड नार्थ
* बंगाल का गवर्नर = लार्ड वारेन हेस्टिंग
* **रेगुलेटिंग एक्ट लागू करने का कारण ⇒**
  1. भ्रष्टाचार (ईस्ट इण्डिया कम्पनी)
  2. ईस्ट इण्डिया कम्पनी की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी
  3. बंगाल की द्वैध शासन
* **प्रमुख प्रावधान ⇒**
* बंगाल का गवर्नर जो था → बंगाल का गवर्नर जनरल (बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था)
* 4 सदस्यो वाली कार्यकारी परिषद
* 20 वर्षो हेतु ईस्ट इण्डिया कम्पनी को एकाधिकार (1773 - 1793 तक)
  (व्यापार और प्रशासन दोनो का एकाधिकार)
* कोलकाता मे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना = 1774
  (ये आजवाला सुप्रीम कोर्ट नही बल्कि उस समय का LOCAL कोर्ट था)
  प्रधान न्यायाधीश → एलिजा इम्पे
  अन्य न्यायाधीश → चैम्बर्स, लैमिस्टर, हाईड

* वारेन हेस्टिंग्स और एलिजा इम्पे दोस्त थे किसी केस मे वारेन हेस्टिंग्स के कहने एलिजा इम्पे ने किसी बेगुनाह को सजा दी थी जिसके कारण वारेन हेस्टिंग्स को वापस ब्रिटेन बुलाकर उस पर महाभियोग चलाया गया था।

* उपहार, निजी व्यापार, रिश्वत पर प्रतिबन्ध

महत्व = भारत मे ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण
भारत मे केंद्रीय प्रशासन की नींव

पिट्स इंडिया एक्ट (1784)

* राजा (CROWN) = जॉर्ज तृतीय
* प्रधानमंत्री = विलियम पिट्स दी यंगर = इस एक्ट के निर्माता
* कारण = रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियो के कारण
* प्रावधान
* ईस्ट इंडिया कम्पनी मे द्वैध शासन प्रारम्भ

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स → व्यापारिक मामले

बोर्ड आफ कन्ट्रोलर्स → राजनैतिक मामले

सदस्य CROWN नियुक्त करेगा → ये ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करेगे

* गवर्नर जनरल परिषद मे सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गयी।
* गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्रदान की गई
* कोलकाता को कम्पनी की राजधानी बनाया गया
* पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया

1786 का विशेष अधिनियम

* गवर्नर जनरल को प्रधान सेना पति भी बनाया गया (सेना की सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी)
* गवर्नर जनरल को परिषद (रेग्यूलेटिंग, 4 सदस्य कार्यकारी परिषद) के निर्णय को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गयी।
* इस समय गवर्नर जनरल लार्ड कार्नवालिस थे ये दो बार भारत आये ① 1786-1793 ② 1805 मे गवर्नर जनरल = दूसरी बार ज्यादा दिनो गवर्नर जनरल नही रह पाये क्योकि इनकी भारत मे प्राकृतिक मृत्यु हो गयी मकबरा = गाजीपुर (UP)

* स्थायी बंदोबस्त (जमींदारी का कारण) = लार्ड कार्नवालिस

1793 का प्रथम चार्टर एक्ट (अधिनियम)

* ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक, प्रशासनिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया।
* नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों (भारत में + ब्रिटेन में काम कर रहे ब्रिटिश) को वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई
* ईस्ट इण्डिया कम्पनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति मिली (पहले केवल ब्रिटिश संसद के पास थी)

1813 का दूसरा चार्टर (अधिनियम) एक्ट

* CROWN = जॉर्ज तृतीय
* बंगाल का गवर्नर जनरल = मिंटो प्रथम (1807-1813)
* प्रावधान = कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी व प्रशासनिक एकाधिकारों को 20 वर्ष के लिये बढ़ाया

↓ का कारण

1750 के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति शुरू हुई (Production increases)

↓

कम्पनियाँ बढ़ी ब्रिटेन में

↓ ब्रिटेन संसद में दबाव

भारत में व्यापार करना चाहते थे

जिससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार कम कर दिये गये, तीन चीजों पर एकाधिकार केवल था

① चीन के साथ व्यापार
② चाय का व्यापार
③ अफीम का व्यापार

} इन चीजों को छोड़कर ब्रिटेन की कोई भी कम्पनी भारत में व्यापार कर सकता था

* अतः ब्रिटिश नागरिकों व कम्पनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली।
* चूंकि व्यापारिक कम्पनियाँ भारत आयी

↓

तो शिक्षित लोगों की आवश्यकता पड़ी

↓

* इसलिये शिक्षा पर पहली बार एक लाख रुपये खर्च का प्रावधान

↓

भारतीय साहित्य विज्ञान

* भारत मे ईसाई मिशनरी (धर्म का प्रचार करने वाली संस्था) के आगमन की अनुमति मिली ⇒ Head quarter = कलकत्ता

1833 का चार्टर अधिनियम

* CROWN = विलियम -IV (1830- 1837)
* बंगाल का गवर्नर जनरल = विलियम बैंटिक

*** प्रावधान**

* ईस्ट इण्डिया का व्यापारिक एकाधिकार (चाय, अफीम, चीन के साथ) पूर्णतया समाप्त कर दिया गया लेकिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिये (1853 तक) बढ़ा दिया गया ।
* बंगाल का गवर्नर जनरल (1773 रेग्यूलेटिंग एक्ट) को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया ।

  भारत का पहला गवर्नर जनरल = विलियम बैंटिक
* सारी शक्तियाँ कानून बनाने की = गवर्नर जनरल
* गवर्नर जनरल के द्वारा बनाये गये कानून को Act (पहले नियामक) कहा जाने लगा।
* गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या फिर 3 से चार कर दिया गया (3+1), चौथा सदस्य को अस्थायी तौर पर जोड़ा गया जिसे विधि सदस्य कहा गया ।

  भारत का पहला विधि सदस्य = लार्ड मैकाले (भारत मे प्रवेश)
* भारतीय विधि आयोग का गठन (4 सदस्य)
  * अध्यक्ष = लार्ड मैकाले
  * मैकाले संहिता का निर्माण —आगे बनेगा→ I PC 1860
* (गवर्नर जनरल की परिषद) —बन गया→ * भारत परिषद बन गया
  4 सदस्य
  * Government of India
  * PIA 1784 द्वारा सदस्य 3 से 4 किया गया

  सरकार शब्द का प्रथम प्रयोग

* सरकारी सेवाओ हेतु चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा = लंदन मे Hailey bury College
* धारा 87 = सरकारी चयन मे जाति, वर्ण, इत्यादि का भेदभाव नही किया जाये (Birth, colour, Religion, Race वंश)

⇓

लेकिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के विरोध पर यह धारा लागू नही हुआ

⇓

यहां से भारतीयो को एहसास होने लगा की वे गुलाम बन गये

* भारत मे दास प्रथा की समाप्ति = 1843, जबकि सतीप्रथा पहले ही 4 Dec 1829 को बैंटिंग के द्वारा समाप्त कर दी गयी थी। (राजा राम मोहन राय जी)
* 1833 का चार्टर आधिनियम से भारत मे केन्द्रीकरण हो गया

महत्व ⇒ * भारत को पहली बार आधिकारिक तौर बडे उपनिवेश कहा गया
* पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग हुआ
* केवल प्रशासनिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, पूर्णतया समाप्त
* भारत मे अंग्रेजो को मुक्त निवास मिला

नोट = 1837 आधिनियम मे फारसी (मुगल भाषा) के स्थान पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया।

1853 का चार्टर अधिनियम

* CROWN = Alexander Victoria (1837-1901)
* भारत का गवर्नर जनरल = डलहौजी (1848-1856)

* प्रावधान =
  * भारत में (संसदीय व्यवस्था) का आधार गवर्नर जनरल परिषद बना
    दो भागों को बाँटा गया
    1. गवर्नर जनरल परिषद (आगे चलकर कार्यपालिका बनेगा।)
    2. विधान परिषद का गठन (12 सदस्य) (आगे चलकर विधायिका बनेगा) → छोटी संसद
  * ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रशासनिक अधिकारों को अनिश्चितकाल के लिये बढ़ाया गया तथा ब्रिटिश क्राउन कभी शासन (प्रशासनिक अधिकार) अपने हाथों में ले सकता था
  * Indian civil service (ICS) हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन व Patronage right खत्म किया गया
    - Patronage right → जान पहचान वाले को नौकरी
    - आयोजन → By = मैकाले सिफारिश समिति (1854) → भारतीय हेतु प्रसंविदाबद्ध (उच्च) सेवा में प्रवेश
    - 1853-1922 तक यह परीक्षा लंदन में हुयी थी
    - 1923 से भारत (इलाहाबाद) में यह परीक्षा होने लगी
  * विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण स्थायी सदस्य बनाया गया
  * Court of directors (or Board of directors) को Province (प्रान्त) नये बनाने का अधिकार मिला = Punjab, Sindh, Asam, Burma, central Province
  * कम्पनी के Board of controllers की संख्या को कम किया गया तथा जबकि 6 लोगों की नियुक्ति सीधे Crown करेगा।
    ↓
    जबकि Board of directors के सदस्य शुरू से से ही Crown चुनता था।

भारत शासन एक्ट 1858 (1858 का चार्टर अधिनियम)
(ACT OF GOOD GOVERNANCE IN INDIA)

* CROWN = विक्टोरिया।
* प्रधानमंत्री = Palmerston (ब्रिटेन का)
* Presented by = Lord Stanley
* भारत का गवर्नर जनरल = लार्ड कैनिंग (1856-62)
* इस एक्ट की घोषणा = 1 Nov. 1858 शाही दरबार (इलाहाबाद) में

↓

इसे भारतीय शिक्षित वर्ग के द्वारा भारतीय मैग्नाकार्टा कहा गया

कारण
* 1857 का विद्रोह
* कम्पनियों की नीतियाँ

प्रावधान और महत्व ⇒

* ईस्ट इण्डिया के शासन की समाप्ति (Liquidation of ईस्ट इण्डिया कम्पनी) → NORMAL COMPANY

↓

* Pitt's Act के द्वैध शासन की समाप्ति

↓

Board of Director, Boards of Controllers की समाप्ति

* भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा

① भारत का पहला वायसराय = लार्ड कैनिंग

NOTE = सत्ता बदलने पर नाम बदल जाता है।

② वायसराय सम्राट द्वारा नियुक्त या सम्राट (क्राउन) को रिपोर्ट करेगा

③ यह Secretary of State को रिपोर्ट करेगा।
(भारत सचिव)
↓ REPORT
ब्रिटिश संसद —REPORT→ CROWN को

* भारत का सचिवालय = U.K. में
① यह भारत के मामलो का सर्वाधिक बड़ निकाय था।
② जिसका प्रमुख भारत सचिव था
③ भारत सचिव कैबिनेट मंत्री के स्तर का था
④ भारत का प्रथम सचिव लार्ड स्टेनली था

भारत में = वायसराय
↓
भारत सचिव = UK में
↓
संसद ⟶ CROWN को रिपोर्ट करता था।

अन्य

* भारत में कुशासन समाप्त
* Doctrine of Lapse की समाप्ति (Doctrine of Lapse को डलहौजी लाया था)
* भारतीय रियासतों व धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप

भारत परिषद अधिनियम (1861)

* CROWN = विक्टोरिया (1837-1901)
* वायसराय = लार्ड कैनिंग (1856-1862)

प्रावधान व महत्व

* पुनः विकेन्द्रीकरण प्रारम्भ (विधायी व न्यायिक)
  (केन्द्र केवल कानून बनाये = केन्द्रीकरण, केन्द्र और राज्य कानून बनाये = विकेन्द्रीकरण)
  1. 1773 व 1833 के द्वारा केंद्रीकरण (प्रारम्भ) की प्रवृत्ति को कम किया गया
  2. मद्रास, मुम्बई की विधानपरिषद को वि विधायी (विधायिका) शक्ति प्रदान की गई

* तीन नवीन प्रांतीय विधान परिषद (विधायी विकेन्द्रीकरण) →
  * बंगाल
  * NW Frontier Province (1866)
  * पंजाब

* उच्च न्यायालय अधिनियम (1861) (न्यायिक विकेन्द्रीकरण) →
  * मद्रास High Court
  * बम्बई High Court
  * कलकत्ता High Court

  → 1862 में बना (By Victoria)
  * इनका नाम आज भी यही है।

* इस समय चार निकाय हैं
  1. भारत सचिवालय = UK
  2. वायसराय की कार्यकारिणी परिषद = India
  3. केन्द्रीय विधान परिषद = India
  4. प्रांतीय विधान परिषद = India

  * इन्हीं चार निकायों से भारतीय संविधान + संसद बनेगा।
  * चार निकायों में अब धीरे-2 भारतीयों को जोड़ा जायेगा

* वायसराय की कार्यकारी परिषद + केन्द्रीय विधान परिषद (विधायिका)

वायसराय की कार्यकारी परिषद

↓ 1833 Act मे चौथा सदस्य जुड़ा था (मैकाले)

① पाँचवा सदस्य जुड़ा (finance

② छठवाँ सदस्य जुड़ा (1874 मे Public work)

केन्द्रीय विधान परिषद (विधायिका)

① परिषद मे गवर्नर द्वारा न्यूनतम 6 व अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किये जा सकते हैं। ↓

② आधे सदस्य गैर सरकारी होना चाहिये (Indian or british)

③ पहली बार गैर सरकारी सदस्य के रूप मे तीन भारतीय

↓ (1862)

तीन भारतीय By वायसराय कैनिंग

↓ 2 साल हेतु

① पटियाला के महाराजा नरेन्द्र सिंह

② बनारस के राजा देवनारायण सिंह)

सरदिनकर राव

↓

कानून निर्माण प्रक्रिया मे भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत

* वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गयी (6 माह अवधि)

* लार्ड कैनिंग की विभागीय व्यवस्था (1858) को मान्यता (एक प्रकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था

भारत मे विभागीय व्यवस्था का जनक = लार्ड कैनिंग

Note = ईस्ट इण्डिया Stock dividend Redemption Act 1873 (ईस्ट इण्डिया Stock लाभांश विमोचन अधिनियम 1873)

↓

इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी 1 June 1874 को समाप्त हो गयी है।

शाही उपाधि अधिनियम (1876)

ROYAL TITLES ACT 1876

* ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी (रानी) बनी तथा विक्टोरिया को भारत में कैसर ए हिन्द की उपाधि मिली
* कार्यकारी परिषद में छठवें सदस्य की नियुक्ति ⇒ Public Work, 1861 प्रावधान में था,
* 28 अप्रैल 1876 को विक्टोरिया को ⇒
  ① भारत की साम्राज्ञी बनाने का निर्णय
  ② इस समय प्रधानमंत्री = डिसराइली
* घोषणा = 1877 = दिल्ली दरबार = (1 जनवरी 1877 लार्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार लगाया गया)
  ① विक्टोरिया को कैसर ए हिन्द उपाधि
  ② वायसराय = लार्ड लिटन (1876-1880)
* तीन दिल्ली दरबार लगे
  ① पहला - 1877 लार्ड लिटन ⇒ इस समय भारत में अकाल पड़ा (1876-78) = 55 लाख मरे
  ② दूसरा = 1903 कर्जन ⇒ एडवर्ड राजा
  ③ तीसरा = 1911 जार्ज पंचम व मेरी भारत आये)

↓ Quote आया

Nero fiddle while Rome Burned (जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था)

↓

पहला दिल्ली दरबार के परिपेक्ष्य में

भारत परिषद अधिनियम (1892)

* CROWN = विक्टोरिया (1837 -1901)
* वायसराय = लार्ड लैंसडाउन (1888-1894)
* गवर्नर की कार्यकारी परिषद (As Such)

BACKGROUND = भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना = A.O. Hume के द्वारा, डफरिन के शासनकाल अब हर Act में कांग्रेस की भूमिका होगी।

* केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यो की संख्या में वृद्धि
* केन्द्रीय में कम से कम 10 गैर सरकारी व 16 सदस्य अधिकतम
* भारतीय परिषदो में गैर सरकारी सदस्यो हेतु एक प्रकार की निर्वाचन प्रणाली का प्रारम्भ
* बजट व लोकहित मामले में = 6 दिन की पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार (प्रश्न करने के लिये 6 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता था)
* भारतीयो को अभी मतदान का अधिकार नही था।, न ही पूरक प्रश्न, न ही बहस, न ही प्रस्ताव पेश करने का अधिकार

भारत परिषद आधिनियम (1909)
(मार्ले-मिण्टो सुधार 1909)

* भारत सचिव = मार्ले (1905-1910)
* वायसराय = मिण्टो द्वितीय
* समिति = अर्ल ऑफ अरुंडेल समिति की सिफारिश पर मार्ले-मिण्टो सुधार

कारण

* 1905 में बंगाल विभाजन
* कांग्रेस द्वारा होमरूल की मांग (1906)
  होमरूल = सरकार → उच्च स्तर
  → निम्न स्तर = स्थानीय सरकार को कांग्रेस द्वारा चलाये जाने की मांग = होमरूल
* मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में स्थापना

---

* प्रावधान व महत्व

* वायसराय की कार्यकारी परिषद में =
  ① पहली बार भारतीयों का प्रवेश = सत्येन्द्र प्रसाद सिंह (विधि सदस्य के रूप में)
* केन्द्रीय परिषद परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60कर दी गयी।
* भारतीय सचिव परिषद (लंदन) में पहली बार दो भारतीयों का प्रवेश
  ① अमीर अली, ② सैयद हुसैन बिलग्रामी
* भारतीयों को बजट में पूरक प्रश्न करने, बहस, मत, प्रस्ताव पेश करने के अधिकार मिला
* पहली बार चुनाव करने का प्रावधान
* मिंटो द्वारा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व या निर्वाचक मंडल
  ↓ मुस्लिम वर्ग हेतु
  ↓ फूट डालो और राज करो नीति शुरू
  इसका मतलब कुछ सीट पर मुस्लिम लड़ सकते और उस पर केवल मुस्लिम वोट कर सकते हैं।
* इस एक्ट को उदार निरंकुशता वाला आधिनियम भी कहा जाता है।
* भारत में साम्प्रदायिक चुनाव का जनक= मिंटो

भारत शासन अधिनियम (1919)

(मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919)

* CROWN = George पंचम (1910-1916)
* भारत सचिव = माण्टेग्यू
* वायसराय = चेम्सफोर्ड (1916-1921)

* प्रावधान

* केन्द्र मे द्विसदनात्मक विधायिका (द्वैध शासन अलग है।)

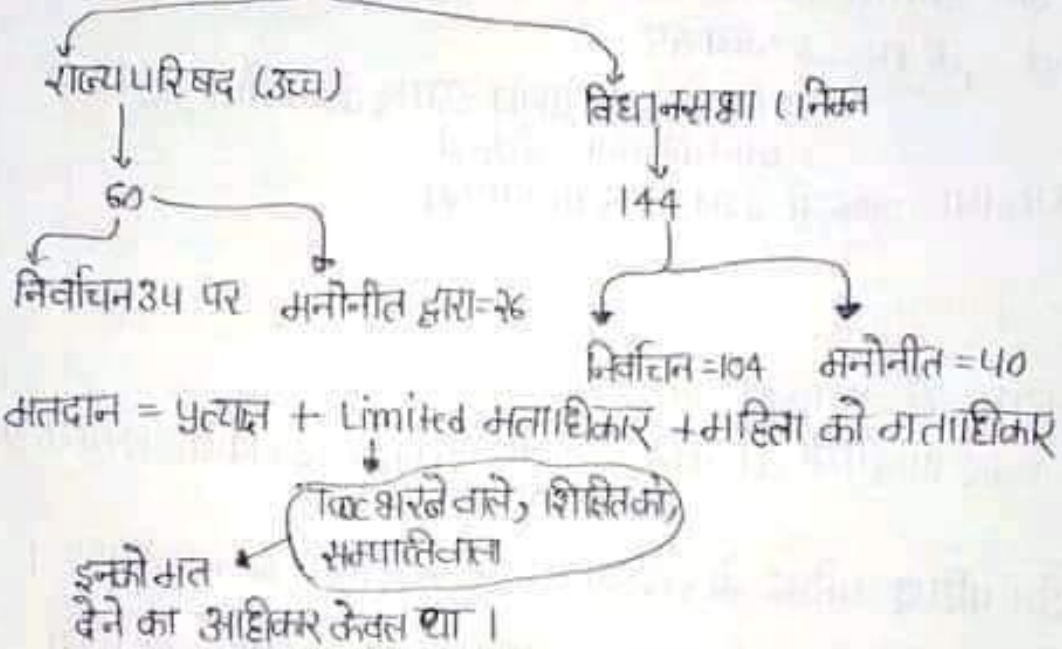

* राज्यो / प्रांतो मे द्वैध शासन (शक्ति दो भागो मे बाँटना) या उत्तरदायी शासन
  - Book = डायर्की (द्वैध शासन) By लियोनेस कर्टियस जन्मदाता
  - विषयों का विभाजन (Diarchy)

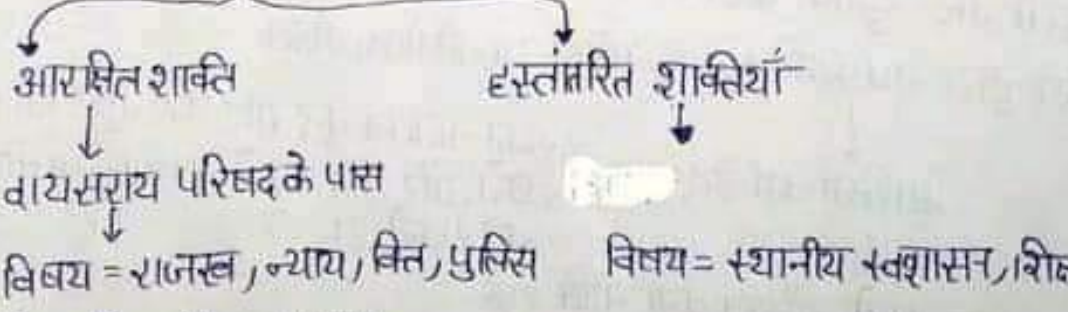

* केन्द्र मे = द्विसदनात्मक
  राज्य मे = द्वैध शासन

* प्रत्यक्ष मताधिकार + महिला मताधिकार = कर, सम्पत्ति, शिक्षा के आधार पर
* ली आयोग द्वारा = संघ लोक सेवा आयोग का 1926 मे गठन
* CAG की नियुक्ति का प्रावधान
* गवर्नर परिषद मे 6 मे 3 सदस्य भारतीय होंगे
* केन्द्र व राज्य बजट को अलग-अलग
* साम्प्रदायिक निर्वाचन का आधार बढ़ाया गया ⇒ (मुस्लिम, सिख, ईसाई + आंग्ल भारतीय + यूरोपियो)
* भारत सचिव का वेतन भारत से नही
  भारत सचिव का नाम परिवर्तन = भारत उच्चायुक्त
* 8 फरवरी 1921, नरेश मंडल का निर्माण - इसमे 121 देशी रियासतो के राजकुमार थे।
* नवम्बर 1927 साइमन आयोग का गठन = 1919 के अधिनियम के अवलोकन के लिये।

साइमन कमीशन (1927 नवंबर)

भारत शासन अधिनियम 1935

* CROWN = जॉर्ज पंचम
* वायसराय = वेलिंगटन (1931-36)

इस अधिनियम मे नही था ⇒ (1) प्रस्तावना, (2) लिखित संविधान (3) मौलिक अधिकार (4) मौलिक कर्तव्य

* प्रावधान ⇒

(1) मील का पत्थर कहते इस अधिनियम को, क्योंकि संविधान के बहुत सारे प्रावधान इस अधिनियम से लिये गये हैं।

(2) 14 भाग, 321 धारायें, 10 अनुसूची थी

(3) अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान
↓
केन्द्र और राज्यो मे → शक्तियो का विभाजन → संघ सूची + समवर्ती सूची + राज्य सूची + अवशिष्ट सूची
↓
11 प्रांतो + 6 चीफ कमिश्नरी +
देशी रियासत → देशी रियासत चाहे तो इस संघ मे मिले या न मिले = देशी रियासत नही मिले

देशी रियासत हिस्सा नही बने इसलिये भारतीय संघ नही बना

संघ नही बना → संवैधानिक निरंकुशता वाला स्मारक कहते हैं ← इसे इतिहासकार

* प्रांत⇒ द्वैध शासन की समाप्ति (राज्यों मे
  प्रांतो मे 1937 मे चुनाव

* भारतीय परिषद का अंत

* साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार (मुस्लिम के साथ + दलित + महिला मजदूर)

* प्रांतो मे लोक सेवा आयोग का (आरम्भ) स्थापना) (PSC) = 1935 Act

* संघीय न्यायालय का प्रावधान
  (SUPREME COURT → HIGH COURT → LOCAL COURT)
  ① 1937 in Delhi – SUPREME COURT — वर्तमान वाला
  ② सर मॉरिस ग्वेयर (पहला CJI)
  ③ 65 वर्ष आयु
  ④ सरकार नियुक्त करता था

* बरार को मध्य प्रांत मे मिलाया
* मताधिकार का विस्तार = 10%
* केन्द्रीय विधान मंडल सदस्य संख्या

राज्य सभा	लोकसभा
260	375
(पहले = 60)	(पहले = 144)

→ * Voting = 10%
* साम्प्रदायिक
* प्रत्यक्ष व सीमित मताधिकार

* ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई
* आपातकालीन का प्रावधान
* राष्ट्रपति अध्यादेश का अधिकार

कथन⇒ (इस अधिनियम को — लेकर)
* अनेको ब्रेको वाली इंजन रहित गाड़ी
* दासता का नया अधिकार पत्र
} नेहरू जी
* यह अधिनियम ऊपर से लोकतान्त्रिक परंतु अन्दर से खोखला है — मदन मोहन मालवीय

संविधान सभा

* 1895 → बालगंगाधर तिलक → स्वराज विधेयक =
पहली बार सिद्धान्त के रूप में संविधान सभा की बात कही गयी
↓
* 1922 → महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका में लेख दिया गया कि=
भारतीय ही भारत का संविधान बनायेंगे
↓
* 1924 → स्वराज पार्टी के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग
↓
* 1934 → एम एन राय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग
↓
* 1935 → भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग
↓
* 1938 → नेहरू के द्वारा संयुक्त और वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा मांग
* 8 अगस्त 1940 → अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग मानी
* मार्च 1942 ⇒ क्रिप्स मिशन के द्वारा निर्वाचित संविधान की मांग स्वीकारी
* मार्च 1946 ⇒ कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा गठन हुआ

कैबिनेट मिशन-24 मार्च 1946

* इसी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया
* राजा = जार्ज 6th (1936-1952)
(ब्रिटेन में)
* प्रधानमंत्री = क्लिमेंट एटली (1945-1951) = लेबर पार्टी
* यह एक उच्चस्तीय कैबिनेट मिशन था
* अध्यक्ष = पैथिक लारेंस
सदस्य → ① पैथिक लारेंस ⇒ भारतीय सचिव (कैबिनेट स्तर का मंत्री)
② A.B. एलेग्जेंडर
③ स्टैफोर्ड क्रिप्स
* कैबिनेट मिशन से संविधान सभा की पूरी रूप रेखा तैयार की

कैबिनेट मिशन

||

संविधान सभा का गठन

||

सदस्य संख्या 389 सीट

||

आधार = जनसंख्या प्रति 10 लाख पर 1 सीट

इन सीटों को तीन भागों में बांटा गया = सामान्य, मुस्लिम, सिख

- (चुनाव होगा) 296 सीट राज्यों को
  - सामान्य = 213
  - मुस्लिम = 79
  - सिख = 4
  - 292 प्रान्तों के पास (यहाँ विधान परिषद है)
  - 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के पास (केन्द्रशासित प्रदेश की तरह)
    1. दिल्ली
    2. कुर्ग (कर्नाटक)
    3. बलूचिस्तान
    4. अजमेर
- (चुनाव नहीं होगा) 93 सीट देशी रियासतों को (राजा, महाराजा, राजकुमार)

① प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा 292 सीटों का चुनाव

* एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
* चुनाव = अप्रत्यक्ष, वयस्क मताधिकार, आंशिक निर्वाचन/सीमित मताधिकार (सीमित, सार्वभौमिक नहीं)

भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली

* संविधान सभा की पहली बैठक = 9 दिसम्बर 1946
* संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष = सच्चिदानंद सिन्हा (सबसे बुजुर्ग)

* संविधान सभा की दूसरी बैठक = 11 दिसम्बर 1946
* संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष = राजेन्द्र प्रसाद
* उपाध्यक्ष = ① एच सी मुखर्जी ② वीटी कृष्णमाचारी
* संविधान सभा का संवैधानिक प्रवक्ता = सर्वपल्ली राधाकृष्णन
* संवैधानिक सलाहकार = बी॰एन॰ राव (बेनेगल नार्सिम्हा राव)

बी॰एन॰राव ⟶ ICS (Indian civil Service) Officer
बर्मा का संविधान लिखने मे मदद
भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाने (प्रारूप बनाया
कश्मीर के PM थे।
UN मे भारत के प्रतिनिधि थे
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (हेग मे) मे भारत के प्रथम जज
(वर्तमान मे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय मे भारती जज
दलवीर भण्डारी हैं 2012)

13 Dec 1946

* संविधान सभा की तीसरी बैठक नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव (आगे प्रस्तावना बनेगा) पेश किया गया

↓

पेश – 13 दिसम्बर 1946

↓

पारित = 22 जनवरी 1947

* उद्देशिका प्रस्ताव = भावी संविधान का संक्षेपण

स्वतन्त्रता → विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना

न्याय → सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक

* यह सभा अविभाजित भारत के लिये था।

संविधान सभा में 389 सीटों का चुनाव

↓

June-July 1946

↓

परिणाम

- 296
  - 208 सीट कांग्रेस को मिली → बहुमत
  - 15 सीट अन्य को
  - 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली
    - * मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया
    - * 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस (डायरेक्ट एक्शन डे) के रूप में मनाया → लगातार दंगे हुये
- 93 सीट देशी रियासतों को मिला
  - * किसी भी रियासत ने प्रारम्भ में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे
  - * आगे चलकर कुछ रियासतों के प्रतिनिधि आए पर हैदराबाद के प्रतिनिधि कभी नहीं आये।

परिणाम = भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ क्योंकि बहुमत कांग्रेस के पास था।

* United Province (संयुक्त प्रांत) से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि = 55
* Madras से प्रतिनिधि = 49
* 296 सीटों में महिलायें थी = 15

15 अगस्त 1947 → भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के द्वारा

① संविधान सभा संप्रभु हो गई

② संविधान सभा को दो कार्य सौंपे गये (आजादी के बाद)

* संविधान सभा को संविधान निर्माण करने का कार्य सौंपना
* संसद केंद्रीय विधायिका = जी वी मावलंकर = देश में शासन का संचालन करना

अध्यक्ष = डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

③ सीटों की संख्या में परिवर्तन 389 से 299 कर दी गयी

मद्रास = 49
संयुक्त = 55
मध्यप्रांत बरार = 17

संविधान सभा का कार्य

① संविधान तैयार करना

② अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया

③ 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया

④ इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दे दी गयी थी

⑤ 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को चुना गया था

⑥ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया

⑦ 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किया गया

संविधान सभा की प्रारूप समिति

* गठन - डॉ॰ बी आर अम्बेडकर
* सभापति - 29 अगस्त 1947

* सदस्य * एन गोपालस्वामी आयंगार
  * अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
  * के एम मुंशी
  * मुहम्मद सदाउल्ला
  * बी एल मित्र (अस्वस्थ्य के कारण) त्याग पत्र दे दिया इनके स्थान पर एन माधव राव को नियुक्त किया गया
  * डी॰पी॰ खेतान (मृत्यु 1948 मे हो गई इनके स्थान पर टी॰ कृष्णामाचारी सदस्य बने

	समितियाँ	सदस्य	अध्यक्ष
①	प्रारूप	7	डॉ॰ बी॰ आर अम्बेडकर
②	कार्य संचालन	3	के एम मुंशी
③	संघ शक्ति	9	नेहरू जी
④	मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक	54	सरदार वल्लभभाई पटेल
⑤	संघ संविधान	15	नेहरू जी
⑥	प्रक्रिया	—	डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद
⑦	वार्ता	—	"
⑧	तदर्थ झण्डा समिति	—	"
⑨	प्रान्तीय संविधान	—	सरदार पटेल
⑩	अल्पसंख्यक उपसमिति	—	एच सी मुखर्जी
⑪	सदन समिति	—	पी पट्टाभि सीतारमैया
⑫	वित्त एवं स्टाफ समिति	—	ए एन सिन्हा

संविधान

* संविधान बनने में कुल समय लगा = २वर्ष ११ माह १८ दिन
* संविधान बनने के बाद इसमें कुल = २२ भाग, ३९५ अनुच्छेद और ८ अनुसूचियाँ
* वर्तमान में = २५ भाग, ४५० अनुच्छेद, १२ अनुसूचियाँ
* संविधान सभा में संविधान पारित हुआ = २६ नवम्बर १९४९
* पूरे देश में संविधान लागू हुआ = २६ जनवरी १९५०
* जब संविधान बन कर तैयार हुआ तब यह हाथों से लिखा हुआ, तथा अंग्रेजी में था (मूल रूप से)
* संविधान में चित्र बनाने वाले पेंटर = नंदलाल बोस (नंदलाल बोस के शिष्य) & राममनोहर सिन्हा (जबलपुर)
* हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा
* संविधान (Published) प्रकाशित हुआ = देहरादून
* हिन्दी अनुवाद = डॉ॰ रघुवीरा
* संविधान की मोहर = हाथी
* मुख्य प्रारूपकार = L·N·मुखर्जी
* गांधी जी और जिन्ना संविधान सभा के हिस्से नहीं थे
* संविधान की मूल प्रति संसद के लाइब्रेरी में हीलियम गैस में रखी गयी

भारतीय संविधान की विशेषतायें

① अवलोकन (सामान्य जानकारी)
② अनुसूचियाँ
③ स्रोत
④ महत्वपूर्ण तथ्य

कार्लमार्क्स
↓ BOOK
दास कैपिटल

अबतक संविधान संशोधन हुआ = 103

* 100 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2015 = भारत-बांग्लादेश भूमि समझौता 2015
* 101 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2016 = जी॰ एस॰ टी॰ लागू = 1 जुलाई 2017
* 102 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2018 = राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B
* 103 वाँ संशोधन संशोधन अधिनियम 2018 = आर्थिक आरक्षण

Note = 122 तक संशोधन विधेयक आया है लेकिन पास 103 ही हुआ है।

अनुसूचियाँ

पहले 8 था अब 12 हो गया है।

① प्रथम अनुसूचियाँ = राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशो के नाम।

② द्वितीय अनुसूची = वेतन + भत्ते = विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार
① राष्ट्रपति ① राज्यपाल
② लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ② विधानसभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष
③ कुछ विधान परिषद ③ राज्य सभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष
④ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ④ उच्च न्यायालय न्यायाधीश
⑤ नियंत्रक महालेखा परीक्षक

विधान परिषद = 6 राज्यों में = आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार

③ तृतीय अनुसूची = शपथ

① सांसद ① विधायक (MLA)
② केन्द्रीय मंत्री ② राज्य के मन्त्री
③ सुप्रीम कोर्ट ③ हाई कोर्ट
④ नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक

NOTE = जो लोग सांसदी और विधायकी का चुनाव लड़ते हैं उनकी शपथ भी यहाँ दी गई हैं।

④ चौथी अनुसूची = राज्यसभा की सीटे (अनुच्छेद = 8)

⑤ पाँचवी अनुसूची = अनु - 244
अनुसूचित क्षेत्रो और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख

⑥ छठी अनुसूची = ① असाम ② मेघालय ③ मिजोरम ④ त्रिपुरा
के जनजातिये क्षेत्रो के प्रशासन के बारे मे प्रावधान

⑦ सातवी अनुसूची = राज्य व केन्द्र के मध्य शक्तियो का विभाजन (भाग - 11)
(केन्द्र व राज्य संबंध 245 से 263 अनु.)
246 संघ राज्य व समवर्ती सूची
246 I संघ सूची
246 (2) समवर्ती सूची
246 (3) राज्य सूची
248 - अवशिष्ट सूची

① अनुच्छेद 246 (1) संघ सूची 97 विषय पहले थे अब 100 विषय हैं।

① रक्षा ② विदेश ③ रेल ④ परमाणु ⑤ अंतरिक्ष ⑥ मुद्रा (RBI)
⑦ बीमा ⑧ बैंक ⑨ संचार ⑩ जल परिवहन ⑪ Light House
⑫ स्टॉक मार्केट ⑬ Income-tax ⑭ हवाई परिवहन ⑮ सीमा शुल्क
⑯ व्यापार कर ⑰ कच्चा तेल क्षेत्र

② २४६(२) समवर्ती सूची = कानून राज्य + केन्द्र दोनो बनाते है।
पहले 46 थे, वर्तमान मे 52 विषय है।

प्रमुख विषय = ① शिक्षा ② वन तथा वन्य जीव ③ मापन ④ दिवालियापन संबंधी कानून (राज्य सूची समवर्ती सूची मे 42वां संविधान संशोधन 1976) ⑤ बिजली ⑥ बंदरगाह ⑦ जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन ⑧ शादी / तलाक / उत्तराधिकारी संबंधी कानून ⑨ IPC 1860 (भारतीय दंड संहिता तथा नागरिक संहिता के विषय ⑩ किताब, अखबार, ⑪ पुरातात्विक इमारते ⑫ अंतर्देशीय परिवहन

③ २४६(३) राज्य सूची = पहले 66 थे अब 61 विषय है।

प्रमुख विषय = ① कृषि ② जल संसाधन (नदी विवाद दो राज्यो के मध्य) ③ पुलिस ④ स्वास्थ्य स्वच्छता ⑤ स्थानीय शासन पंचायत / नगर पालिका) ⑥ राज्य मे स्थित तीर्थ स्थल ⑦ कृषि कर ⑧ जल ⑨ मछली ⑩ टोल टैक्स ⑪ विज्ञापन कर

④ अवशिष्ट सूची २४८ = ऐसे विषय जो इन तीनो सूचियो मे नही है उन्हे अब सिर्फ सूची मे रखा गया है।

उदाहरण = साफ्टवेयर, हार्डवेयर, सूचना और प्रौद्योगिकी (IT)

⑧ आठवी अनुसूची = २२ भाषाओ को आधिकारिक भाषा की मान्यता मिली (पहले 14 थी) इसमे अंग्रेजी (२२ मे) को आधिकारिक भाषा की मान्यता नही मिला है

भाषा	मान्यता
① सिंधी भाषा	२१वे संविधान संशोधन (1967
② कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली	71 वां संविधान संशोधन (1992)
③ बोडो, डोंगरी, मैथिली संथाली	92 वां संविधान संशोधन (2003

↓

8 भाषा + 14 मूल संविधान भाषा = २२

* हमारी राष्ट्र भाषा नही है, आधिकारीक भाषा (राज भाषा) है।

NOTE = ये आठ अनुसूची संविधान मे मूल रूप से थी जबकि 9, 10, 11, 12 वे अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गयी।

⑨ नौवी अनुसूची - * प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गयी।
31 - B

* भूमि सुधार से सम्बन्धित है।
* यदि किसी 9वी अनुसूची मे रखा जाता है तो उसका कानून को न्यायिक पुनरावलोकन नही किया जा सकता
↓
परन्तु 2007 के कोयल्हो केस के बाद
↓
तिथि 24 April 1973
↓
न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है।

⑩ दसवी अनुसूची = दल बदल विरोधी कानून
52वाँ संविधान संशोधन (1985)

⑪ ग्यारहवी अनुसूची = 73वाँ संविधान संशोधन (1992)
↓
पंचायती राज्य व्यवस्था को जोड़ा गया
↓
पंचायत के 29 विषय

⑫ बारहवी अनुसूची = 74 वाँ संविधान संशोधन (1992)
↓
नगरीय निकाय को जोड़ा गया।
↓
नगरीय निकाय के 18 विषय

संविधान के विभिन्न प्रावधानो के स्रोत

देश	प्रावधान
आस्ट्रेलिया	प्रस्तावना, समवर्ती सूची
USA	मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धान्त, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो को पद से हटाया जाना
आयरलैण्ड =	नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
जर्मनी	आपातकाल, व आपातकाल के समय मूल अधिकारो का स्थगन
कनाडा	राज्यपालो की नियुक्ति, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियो का केन्द्र मे निहित होना
दक्षिण अफ्रीका	राज्यसभा के सदस्यो का निर्वाचन, संविधान संशोधन प्रक्रिया
जापान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
ब्रिटेन	संसदीय शासन, विधि का शासन एकल नागरिकता, द्विसदन वाद, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसद विशेषाधिकार
इंग्लैण्ड	विधि निर्माण की प्रक्रिया
(रूस) पूर्व सोवियत संघ	मूल कर्त्तव्य

मौलिक आधिकार (FUNDAMENTAL RIGHTS)

* SOURCE = USA भाग = 03 अनुच्छेद = 12-35
* इन आधिकारो को मौलिक आधिकार इसलिये कहा जाता है क्योकि इन्हे देश के संविधान मे स्थान दिया गया है तथा संविधान मे संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमे किसी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता।
* इन आधिकारो का उल्लंघन नही किया जा सकता, उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है।
* मौलिक आधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होता है। पहले ये सात थे, जिसमे सम्पत्ति के आधिकार को समाप्त कर दिया गया। जिससे अब यह 6 रह गये है।
* व्यक्ति को 6 मौलिक आधिकार प्राप्त है -

① समानता का आधिकार (अनु 14-18)
② स्वतन्त्रता का आधिकार (अनु 19-22)
③ शोषण के विरुद्ध आधिकार (अनु 23-24)
④ धार्मिक स्वतन्त्रता का आधिकार (अनु 25-28)
⑤ संस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी आधिकार (अनु 29-30)
⑥ संवैधानिक उपचारो का आधिकार (अनु-32)

संवैधानिक उपबंध

केवल भारतीयो नागरिको को प्राप्त मूल आधिकार	भारतीयो व विदेशी नागरिको को प्राप्त मूल आधिकार
① अनु-15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद प्रतिषेध	① विधि के समक्ष समता और विधियो का समान संरक्षण (अनु-14)
② अनु-16 लोक नियोजन के विषय मे अवसर की समानता	② अपराधो के लिये दोष सिद्धि के सम्बन्ध मे संरक्षण (अनु-20)
③ वाक् स्वातंत्र्य, शान्तिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाने, संचरण निवास, वृत्ति की स्वतन्त्रता = अनु = 19	③ जीवन का आधिकार (अनु-21)
④ अल्पसंख्यक वर्गो के हितो का संरक्षण अनु = 29	④ शोषण के विरुद्ध आधिकार (अनु 23, 24)
	⑤ धर्म, संस्कृति की स्वतंत्रता (अनु-25, 27, 28, 29)

①समानता/समता का अधिकार (अनु=14-18)

Ⓐ अनुच्छेद =14 विधि के समक्ष समता का अधिकार (कानून के सामने सभी बराबर हैं।)

↓
ब्रिटेन से लिया गया

(विधियों का समान संरक्षण = समान परिस्थितियों वा व्यक्तियोंके साथ समान व्यवहार

↓
अमेरिका से

↓
इसीके आधार पर SC,ST, OBC आरक्षण दिया गया, स्वर्ण आरक्षण दिया गया।

Ⓑ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्म के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा (अनु =15)

अनु=15(2) ⇒ सड़क, रेल, दुकान, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जायेगा

अनु=15(3) = सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है।

अनु =15(4) = शैक्षणिक आरक्षण।

103 वां संविधान संशोधन में दो उपबन्ध 15(6), 16(6) जोड़े गये

अनु 15(6) राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो के लिये विशेष प्रावधान कर सकता हैं (E.W.S.)

Ⓒ अनु=16 = लोक नियोजन के विषय मे अवसरकी समानता (Public employment)

Ⓓ अनु=17 * अस्पृश्यता का अन्त

↓
* दण्डनीय अपराध हैं।

Ⓔ अनु = 18 = उपाधियों का अंत

①* राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नही करेगा

② भारत का कोई नागरिक विदेश राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा

③ कोई व्यक्ति (भारत का नागरिक न हो) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुये किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा ।

समानता का अधिकार का अपवाद

अनु -361 = राष्ट्रपति , गवर्नर = पद पर रहते हुये उनपर आपराधिक मामला नहीं चलेगा, नहीं गिरफ्तारी होगा

अनु = 105 = सांसद

अनु = 194 = विधायक → सत्र प्रारम्भ होने के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद दीवानी मामलो में सांसदों व विधायकों की गिरफ्तारी नहीं होगा ।

② स्वतंत्रता का अधिकार (अनु = 19-22)
(Right to Freedom)

① अनु = 19 = वाक् (बोलना) और अभिव्यक्त की स्वतन्त्रा (निजी भवनो मे झंडा फहराना आदि)

② अनु = 20 = अपराधो के दोष सिद्धि के सम्बन्ध मे संरक्षण (जबरजस्ती गवाही नही)

③ अनु = 21 = प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार (विदेश यात्रा अधिकार प्रदान करता है आदि)

④ अनु = 21 (क) = शिक्षा का अधिकार (86 वां संशोधन 2002)
↓
6-14 वर्ष के बच्चो को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा।

⑤ अनु = 22 कुछ दशाओ मे गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण

22(1) = गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना।
22(2) = गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति 24 घण्टे के भीतर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना।
22(3) = निवारक गतिविधि शंकित व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है।

③शोषण के विरुद्ध आधिकार (अनु=२३-२४)

①अनुच्छेद=२३ मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध
(Forced labour)

बलात श्रम = व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य करना

* बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर रोक

②अनुच्छेद=२४= कारखानो आदि मे बालश्रम पर रोक
↓
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के मजदूरी पर रोक

④ धर्म की स्वतन्त्रता का आधिकार (अनु=२५-२८)

① अनु=२५ = अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंतन्त्रता

अन्त:करण = नास्तिक अपने आचरण को प्रचार करने की स्वतन्त्रता
धर्म = आस्तिक

② अनु= २६ धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंन्त्रता

③ अनु=२७ किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिये करो के संदाय के बारे मे स्वतन्त्रता

राज्य कभी धर्म, मान्दिर के लिये Tax नही मांगेगा।

④ अनु=२८ कुछ शिक्षण संस्थानो मे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना मे उपस्थीत होने के बारे मे स्वतन्त्रता।

⑤ संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

अनु=

① अनु. २९ = अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

② अनु = ३० = शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

⑥ संवैधानिक उपचारों का अधिकार

① अनु=३२ = डॉ. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय (आत्मा) की संज्ञा कहा है इस अनुच्छेद को

* इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के सम्बन्ध में निदेश या आदेश या रिट जारी कर सकता है संविधान में पाँच प्रकार की रिट [अनु. ३२(२)] का उल्लेख है।

① बन्दी प्रत्यक्षीकरण =
② परमादेश
③ प्रतिषेध
④ उत्प्रेरण
⑤ अधिकार पृच्छा

अनु = ३३ = संसद को अधिकार → सैन्य बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित करना

अनु = ३४ = जब भारत में कहीं मार्शल लॉ (सैन्य विधि) लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है।

अनु = ३५ संसद को कुछ मूल अधिकारों (अनु १६, ३२, ३३, ३४) को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है।

मौलिक अधिकारो से सम्बन्धित प्रश्न

① मूल अधिकारो को लागू करने की शक्ति है = सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के पास

② मौलिक अधिकार है = वाद योग्य / SUITABLE / JUSTICIABLE

③ नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य है = अवाद योग्य / Non justiciable

④ विधायन सत्ता (legislative authority) पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है = अनु. 14

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

DIRECTIVE PRINCIPLE OF STATE POLICY = DPSP

* वर्णन = भाग ⇒ 4 अनु = 36-51
* अनु = 36 परिभाषा = इस भाग मे, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 मे है।
* अनु = 37 इस भाग मे अंतर्विष्ट तत्वो का लागू होना - इस भाग मे अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नही होंगे किन्तु फिर भी इनमे अधिकथित तत्व देश के शासन मे मूलभूत है और विधि बनाने मे इन तत्वो को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा
अनु = 37 ⇒ DPSP गैर वाद योग्य है + DPSP लागू करने का दायित्व राज्य (केन्द्र + राज्य) के पास है।
* अनु = 38 राज्य लोककल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा
* अनु = 39 सभी पुरुष एवं स्त्रियो की आजीविका के लिये पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार
* अनु 39 (A) समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता
* अनु 40 राज्य ग्राम पंचायतो को स्वायत्त शासन की इकाइयो के रूप मे संगठित करेगा
* अनु 41 काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बिमारी

और निःशक्तता की दशाओ मे लोक सहायता पाने का अधिकार

* अनु 42. काम की न्यायसंगत और मानोचित दशाओ को सुनिश्चित करने के लिये और प्रसूति सहायता के लिये उपबंध

* अनु 43. राज्य कर्मचारी के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर आदि बढ़ाने का प्रयास

* अनु 43A उद्योगो के प्रबंध मे कर्मचारी को भाग लेना

↓

42वे संशोधन 1976 से जोड़ा गया

* अनु 44 एक समान सिविल संहिता

* अनु 45. 6 से 14 वर्ष के बालको को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना

* अनु 46 SC/ST वर्गों की शिक्षा, हित, शोषण से सुरक्षा

* अनु-47 पोषाहार स्तर, जीवनस्तर ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास, मादक द्रव्य, हानिकारक औषधियो का निषेध

* अनु 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओ के वध पर रोक

* अनु 48 (A) देश के पर्यावरण संरक्षण, संवर्द्धन और वन, वन्य जीवो की रक्षा

↓

42वे संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया

* अनु 49. राष्ट्रीय महत्व के स्मारको, स्थानो, वस्तुओ का संरक्षण

* अनु 50. न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये राज्य कदम उठायेगा

* अनु 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

NOTE = DPSP राज्य के कर्तव्य और प्रकृति से राज्य के प्रति सकारात्मक है।

मौलिक कर्त्तव्य

SOURCE = पूर्व सोवियत संघ
वर्णन = भाग 4(क) अनु 51(क)

भारतीय संविधान के भाग-4क (अनु 51क) मे मौलिक कर्त्तव्य का वर्णन है।

मौलिक कर्त्तव्य संविधान का भाग नहीं था इन्हे सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिश पर 42 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान मे जोड़ा गया।

अनु 51क - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह -

(1) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओ, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करे
(2) स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय मे संजोये रखे और उसका पालन करे
(3) भारत की प्रभुता, एकता, और अखण्डता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे
(4) देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र सेवा करे।
(5) भारत की सभी लोगो मे समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसे प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियो के सम्मान के विरूद्ध हो
(6) हमारे सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
(7) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव है रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे
(8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे
(9) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे

(10) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियो के सभी क्षेत्रो मे उत्कर्ष की ओर बढने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढते हुये प्रयत्न और उपलब्धी की नई उचाईयो को छूले ।

(10) 6-14 वर्ष के बच्चो के माता - पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हे शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

↓

86 वां संविधान संशोधन 2002

भारत संविधान

↓

भाग -5

↓

संघ (UNION) (अनु 52-151)

- संघ की कार्यपालिका (Executive) अनु= 52-78
  - ① राष्ट्रपति
  - ② उपराष्ट्रपति
  - ③ प्रधानमंत्री व मंत्रीमण्डल
  - ④ भारत का महान्यायवादी (AGI)
- संघ की विधायिका (Legislation) अनु 79-123
  - ① लोक सभा
  - ② राज्य सभा
- उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) अनु 124-147
- CAG अनु 148-151

राष्ट्रपति

* प्रेरणा = ब्रिटेन महारानी
* निर्वाचन प्रणाली = आयरलैण्ड
* महाभियोग = अमेरिका
* अनु 52 = भारत का एक राष्ट्रपति होगा
* अनु 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन
* अनु 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति
* अनु 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया
* अनु 56 राष्ट्रपति की पदावधि
* अनु 57 पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता
* अनु 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हतायें
* अनु 59 राष्ट्रपति के पद के लिये शर्तें
* अनु 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ (Oath) या प्रतिज्ञान

* अनु 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

महाभियोग = पद से हटाना
↓
यह शब्द केवल राष्ट्रपति के लिये प्रयुक्त होता है।

अनु 61(1) जब संविधान के अतिक्रमण के लिये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगायेगा

अनु 61(1) → महाभियोग → आधार = संविधान का अतिक्रमण
+ ↓
→ संसद का कोई सदन
↓

अनु 61(2) → महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले (14 दिन) राष्ट्रपति को बताना होगा
→ महाभियोग प्रस्ताव सदन में पेश करने के लिये प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्यों का केवल हस्ताक्षर होना चाहिये

अनु 61(2)(b) → अगर प्रस्ताव को 2/3 मत मिले तो प्रस्ताव उस सदन पर पास हो जायेगा
↓

अनु 61(3) → अब प्रस्ताव दूसरे सदन में जायेगा। और दूसरा सदन प्रस्ताव की जाँच करेगा
↓

अनु 61(4) → दूसरा सदन अगर 2/3 सदस्यों के मत से पारित करता है तो
↓

राष्ट्रपति को पद से हटना होगा

उपराष्ट्रपति

* SOURCE = USA

* अनु 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

* अनु 64 उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा

* अनु 65 राष्ट्रपति के पद मे आकस्मिक स्थिति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति मे उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करना या उसके कृत्यो का निर्वहन

* अनु 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

* अनु 67 उपराष्ट्रपति का पदावधि = पाँच वर्ष

* अनु 68 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ (oath) या प्रतिज्ञान

* निर्वाचन = संसद के दोनो सदन के सदस्यो से मिलकर बनाने वाले निर्वाचकगण के सदस्यो द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन मे मतदान गुप्त और अप्रत्यक्ष होगा। अनु 66(1)

* उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नही होगा। [अनु 66(2)]

* कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह
  1. भारत का नागरिक हो
  2. 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो
  3. राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिये अर्हित हो
  4. कोई लाभ पद धारण न किया हो।

  } अनु 66(3) योग्यतायें

* उपराष्ट्रपति का स्थानापन्न = राष्ट्रपति
* पदावधि = 5 वर्ष
* पद से हटाना = उपराष्ट्रपति राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यो के बहुमत ने पारित किया हैं और जिससे लोकसभा सहमत हो किन्तु इस खण्ड के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नही

किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से कम से कम चौदह दिन पहले सूचना उपराष्ट्रपति न दे दी जाये

उपराष्ट्रपति को हटाना ⟶ प्रस्ताव ⟶ राज्यसभा पहले

↓

बहुमत (51%) ⟵ लोकसभा ⟵ केवल बहुमत (51%)

↓

पारित ⟶ उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाया

अनु 61 उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति करवाता है।

अनु 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय

↓

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं व विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा

भारत का महान्यायवादी

Attorney general of India (AGI)

* वर्णन = अनु. 76
* भारत सरकार का वकील होता है।
* राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है।
* वह भारत सरकार को विधि सम्बन्धी विषयों पर सलाह देता है।
* इसे भारत में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।
* वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।
  - कार्यकाल निश्चित नहीं।
  - (राष्ट्रपति जब चाहे नियुक्त, जब चाहे हटा सकता है।)
* इसे संसद के किसी भी सदन या किसी समिति में भाग लेने अधिकार है परन्तु मतदान का अधिकार नहीं होगा। (संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन बोल सकता, सलाह दे सकता है।)

भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक

प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद

* केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद का वर्णन = 74 व अनु. 75

अनु. 74

* अनु. 74 ⇒ राष्ट्रपति को उसके कार्यों एंव कर्तव्यो के सम्पादन मे सहायता एंव सलाह देने के एक मंत्रिपरिषद होगा। जिसका मुखिया। प्रधानमंत्री होगा।
* परन्तु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार (मंत्रिपरिषद के द्वारा) के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा (44 संवैधानिक संशोधन 1978 मे जोड़ा गया)
* इस प्रश्न की किसी न्यायालय मे जाँच नही कि जायेगी क्या मंत्रियो ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी।

अनु. 75

* अनु. 75 ⇒ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियो की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
* मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियो की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यो के संख्या के 15% से अधिक नही होगी।
(91 वे संविधान संशोधन 2003 मे जोड़ा गया क्योकि 2003 से पहले गठबंधन सरकार मे मंत्रियो की संख्या ज्यादा हो जाता था।
* मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।
  (प्रसाद पर्यन्त → कार्यकाल निश्चित न हो।)
* मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप उत्तर दायी होगी। (न कि राज्यसभा के लिये)

NOTE = अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र (या मृत्यु) देता है पूरी मंत्रिपरिषद को भी त्याग देना पड़ता है (या समाप्त हो जाती है।)

* राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची मे इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्रारूपो के अनुसार उसको (मंत्री) पद की और गोपनीयता की शपथ दिलायेगा।
* कोई मंत्री जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नही है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नही रहेगा (अगर बन गया हो तो)

* मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। (भाग-2)

राष्ट्रपति = वैधानिक प्रमुख (De-Jure)
प्रधानमंत्री = वास्तविक प्रमुख (De-facto)

अनु. 77 ⇒ भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगा। परन्तु कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।

अनु. 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य

(44 वे संविधानसंशोधन)

मंत्रिमंडल = वर्णन केवल अनु. 352 में = प्रधानमंत्री + कैबिनेट मंत्री

मंत्रिपरिषद = वर्णन अनु 74, 75 = प्रधानमंत्री + कैबिनेट मंत्री + राज्य मंत्री

* प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है परन्तु मतदान वह उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य है।

संसद (PARLIAMENT)

UK ← संसद (PARLIAMENT)

संसद सदस्य हेतु योग्यतायें वर्णित हैं = अनु-84

Article-79

संसद भवन बना = 1927
↓ डिजाइन किया
* एडविन लुटियस
* लागत = 83 लाख
* समारोह = 17 साल

द्विसदनीय व्यवस्था

- राष्ट्रपति — पहले वर्णन हो चुका है।
- लोकसभा
  * निम्न सदन, प्रथम सदन
  * अस्थायी सदन = भंग हो सकता है।
- राज्यसभा

राज्य सभा	लोक सभा
* अधिकतम सदस्य संख्या = 250 238 + 12 = 250 238 → निर्वाचित 12 → राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (आधार = साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा)	* अधिकतम सदस्य संख्या = 552 550 + 2 = 552 550 → निर्वाचित → 530 राज्यों से, 20 केन्द्रशासित राज्यों से 2 → राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय
* वर्तमान सदस्यों की संख्या = 245 245 = 233 + 12 — राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 233 → निर्वाचित	* वर्तमान सदस्य संख्या = 545 = 543 + 2 543 → 530 राज्यों से, 13 केन्द्रशासित प्रदेशों से
* राज्य सभा सदस्य हेतु योग्यतायें वर्णित हैं = अनु. 84	* लोकसभा सदस्य हेतु योग्यतायें वर्णित हैं = अनु. 84
* न्यूनतम आयु = 30 वर्ष	* न्यूनतम आयु = 25
* राज्यसभा में निर्वाचित सीटों का आवंटन किया = जनसंख्या के आधार पर	* लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी प्रावधान = अनु. 93 (हटाया / निर्वाचन = लोकसभा सदस्य के बहुमत द्वारा)
* राज्यसभा में सर्वाधिक आरक्षित सीट (SC/ST के लिये) किस राज्य में की = कोई भी नहीं राज्य सभा में आरक्षण नहीं होता है	* लोक सभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है = उपाध्यक्ष (अनु. 94) उपाध्यक्ष — अनु. 94 ↓ त्यागपत्र — अध्यक्ष
* राज्य सभा को स्थायी = कभी भंग नहीं किया जा सकता है।	* प्रोटेम स्पीकर (अस्थाई अध्यक्ष) = नई लोकसभा के गठन के बाद उन्हीं सदस्यों में एक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है जो अन्य को शपथ दिलाता। (शपथ दिलाने के बाद कार्य समाप्त) ↓ 2019 लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर = वीरेन्द्र कुमार MP के टीकमगढ़ से ← सांसद
* राज्य सभा = उच्च सदन	

राज्य सभा

* अनु. 83 = राज्य सभा भंग नहीं होगा प्रति 2साल मे 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त होंगे
  कार्यकाल = 6 वर्ष
* राष्ट्रपति एक वर्ष मे मे दो बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है।
* राज्य सभा का पहली बार गठन 3 April 1952 तथा बैठक 13 अप्रैल 1952 को हुआ था
* राज्य सभा सदस्यो का चुनाव होता है। = राज्य की विधानसभाओ द्वारा (अप्रत्यक्ष)
* राज्यसभा मे सीटो का आवंटन हुआ = चौथी अनुसूची के आधार पर
  * जनसंख्या के आधार पर
* राज्यसभा को राज्यसूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार = अनु. 249

लोकसभा

* प्रथम लोकसभा का कार्यकाल = 17 अप्रैल 1952 – 4 अप्रैल 1957

लोक सभा

* अनु 85 → संसद सत्र → आहूत, सत्रावसान, विघटन — राष्ट्रपति द्वारा

(जो दिन लोकसभा स्थगित करता है = लोकसभा अध्यक्ष)

आहूत = संसद के बैठक को बुलाना

सत्रावसान = अनिश्चित, दीर्घकाल के लिये स्थगन

विघटन = सदन (लोकसभा) विघटित होने के बाद नया सदन गठित होता है।

* लोकसभा की दो बैठको के मध्य अधिकतम अंतर कितनी अवधि है = 6 माह
  या
  एक साल मे बैठक = 2

* लोकसभा के कितने राज्यो मे एक-एक सीट है
  3 राज्य = मिजोरम = 1
  नागालैण्ड = 1
  सिक्किम = 1
* अरूणाचलप्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा मे लोकसभा की 2-2 सीट है।
* प्रथम लोकसभा चुनाव की सीटो की संख्या = 489 (1951-52), मतदाता संख्या = 17.3 करोड
  489 = 364 कांग्रेस + निर्दलीय = 37 आस पास + 16 CPI
* पहली लोकसभा के अंतिम समय मे अध्यक्ष = एम. अनंतशयनम आयंगर

  जीवी मावलंकर की मृत्यु के कारण (प्रथम लोकसभा अध्यक्ष)
* प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया = जीवी मावलंकर
* प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष = मीरा कुमार
* किन राज्यो मे लोकसभा सीट मे अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण नही है। (ST)

① अरूणाचल प्रदेश ⑥ तमिलनाडू
② गोवा ⑦ केरल
③ हरियाणा ⑧ उत्तर प्रदेश
④ पंजाब ⑨ बिहार
⑤ हिमाचल प्रदेश ⑩ नागालैण्ड

कम जनसंख्या के कारण

परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

* अनु 82 ⟹ संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग (delimitation commission) अधिनियम (Act) पारित करके बनायेगा।

⇒ परिसीमन = लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीट संख्या निर्धारण (कम या ज्यादा करना) करना, साथ ही साथ सीटें किस भाग के लिये रिजर्व करना यह भी देखना है
जैसे = किन दो राज्यों में 2001 की परिसीमन के आधार पर पहली बार ST के लिये लोकसभा में सीट आरक्षित किये गये
↓
मेघालय, कर्नाटक में दो-दो सीटें
2001 में जनगणना हुयी → 2002 Act आये ⟶ 2008 मेघालय व कर्नाटक में सीट आरक्षित की।

⇒ परिसीमन आयोग ⟹ (3 लोग) अध्यक्ष = सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश
सदस्य = ① भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त
② जिस राज्य में परिसीमन हो रहा है उस राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त)
अध्यक्ष + सदस्य की नियुक्ति = राष्ट्रपति करता है।

⇒ पहला परिसीमन आयोग = 1952 (1) जनगणना में, → फिर 1962 (2) जनगणना में → फिर 1972 (3) जनगणना ⟶ फिर चौथा परिसीमन आयोग 2002 में बना

* 1982, 1992 में परिसीमन आयोग नहीं बना = 1972 तक जनसंख्या विस्फोट (बढ़ा) जिससे इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन में परिसीमन 2001 तक बनाने का फैसला किया ⟹ सीट 2001 तक लोकसभा 545 से 552 तक ही रही।
↓
अब 2002 में परिसीमन आयोग बनना था लेकिन अटल बिहारी की सरकार ने 84 वें संविधान संशोधन (2002) में कहा अब भी लोकसभा की संख्या वही रहेगी तथा बढ़ायी नहीं जायेगी तथा अब सीटें 2026 (सात) में बढ़ेंगी

* तथा 2002 परिसीमन आयोग बनाया गया इसमें सीटें न बढ़ाने की बात कही तथा जो सीटें थी उसे ST/SC में व्यवस्थित करना तथा सीटों की अदला-बदली की बात कही गयी थी।

प्रश्न = भारत मे अंतिम परिसीमन किस जनगणना के आधार पर हुआ था।

उत्तर = 2001 की जनगणना।

अंतिम परिसीमन आयोग के अध्यक्ष = कुलदीप सिंह

प्रश्न = वर्तमान मे लोकसभा व राज्य विधान सभाओ की सीटो की संख्या का निर्धारण हुआ था

उत्तर 1971 जनगणना, (1972 की परिसीमन आयोग) के आधार पर

प्रश्न = किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 (निर्वाचित) तक कर दी गई

उत्तर = ① 7वे संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाये गये लोकसभा सीट = 520 लगभग

② 31वां संविधान संशोधन = लोकसभा के सीट 520 से 545 कर दिये गये

(कुल दो संशोधन लोकसभा सीट बढ़ाने के लिये)

प्रश्न = आंग्ल भारतीयो लोगो मे मनोनीत करने की बात कही गयी = 331 अनु (लोकसभा)

प्रश्न = लोकसभा को भंग कर सकता है।

उत्तर = राष्ट्रपति (अनु. 85)

प्रश्न = एक सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता अगर वह लगातार अनुपस्थित रहे -

उत्तर = 60 दिनो तक बिना किसी सूचना के [अनु 101 (4)]

अनु. 190(4) M.L.A के लिये भी ये नियम लागू होता है

प्रश्न = किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था।

उत्तर 5वी लोकसभा का कार्यकाल = 1971 - 1977, इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के कारण।

प्रश्न = लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को कोई शपथ दिलाता है ये केवल सांसद की शपथ लेते हैं।

प्रश्न = कास्टिंग वोट का अर्थ होता है

उत्तर = निर्णायक मत ⟹ लोकसभा अध्यक्ष के पास है

न्यायपालिका
JUDICIARY

* भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है

सुप्रीम कोर्ट $\xrightarrow[\text{अधीन}]{}$ हाइकोर्ट $\xrightarrow[\text{अधीन}]{}$ अधीनस्थ कोर्ट

* न्यायपालिका की एक प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है।

* भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया (दिल्ली)

सर्वोच्च न्यायालय
SUPREME COURT

अन्य ↑ 33 + मुख्य न्यायाधीश ↑ 1 = 34

* वर्णन = भाग-5, अनु 124-147
* सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है
(2019 सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम द्वारा संख्या बढ़ी है।)
पहले संख्या 30 + 1 = 31 थी
* प्रारम्भ में न्यायाधीश की संख्या 7 (1950) है। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा इसे 11 किया, 1960 में बढ़ाकर 14, 1978 में 18, 1986 में 26, और 2008 में 31 तथा 2019 में बढ़ाकर न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गयी
6 बार बढ़ाया ↓ गया न्यायाधीशों की संख्या = संसद द्वारा
* सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है लेकिन सेवानिवृत्त होने के आयु का वर्णन है।
* त्यागपत्र = राष्ट्रपति
* संसद के दोनों सदनों विशेष बहुमत द्वारा न्यायाधीशों को हटा सकते हैं।
आधार = दुर्व्यवहार या ↓ सिद्ध कदाचार
* सेवानिवृत्त आयु = 65 वर्ष
* वेतन = संसद द्वारा निर्धारित
* संवैधानिक पीठ में कम से कम पाँच न्यायाधीश होने चाहिये
ऐसी सुनवाई जिसमें संविधान शामिल हो, तो वह सुनवाई संवैधानिक पीठ करता है।

↓

(1973)

अब तक सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ (13 न्यायाधीश) केशवानंद भारती मामले बैठी जिसमे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धान्त को प्रतिपादित कीया

* संविधान का संरक्षण या अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है।

* अनु.124 = उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

⇓

① भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है। (अन्य न्यायाधीश)

↓ इनकी संख्या संसद निर्धारित करेंगे

② राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता

③ कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के रूप मे नियुक्ति के लिये तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और ⇒

* किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयो का लगातार कम से कम पांच वर्ष न्यायाधीश रहा हो या

* किसी उच्च न्यायालय का या दो से अधिक न्यायालयो का लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या

(वकील)

* राष्ट्रपति की राय मे पारंगत विधिवेत्ता हो।

④ उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जायेगा (USA से)

* साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर

* संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यो के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन

⑦ कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया हो वह भारत के राज्य क्षेत्र की भीतर किसी न्यायालय मे या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन (वकालत) का कार्य नहीं करेगा

* अनु. 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
(उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिये बुलाना = शर्त ⇒ राष्ट्रपति से Permission + उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश से Permission)

* अनु. 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति

* अनु. 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
(कार्यवाही का रिकार्ड रखना)
दंड देना की शक्ति = अगर कोई न्यायालय की अवमानना करता है।

* अनु. 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान ⇒ उच्चतम न्यायालय दिल्ली अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-२ पर नियत करे।

* अनु. 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता = इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुये (ऐसे विषय केवल उच्चतम न्यायालय में सुने जायेंगे जैसे) ⇒
⇒ भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच केस या
⇒ एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद (या केस)
⇒ दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद (या) केस)

* अनु. 138 उच्चतम न्यायालय अधिकारिता की वृद्धि -
(1) उच्चतम न्यायालय को संघसूची के विषय में से किसी के संबंध में ऐसी अधिकारिता और शक्तियाँ होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे
(सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बढ़ाने का कार्य संसद करेगा)

* अनु. 139. कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना = संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनु 32 के खंड (2) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्ही प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट है या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान करेगी। (निर्णय)

अनु. 141. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना = उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र की भीतर सभी न्यायालयों में आबद्धकर (मान्य) होगी।

* अनु. 142 सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियो और आदेशो का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे मे आदेश

* अनु. 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

उच्च न्यायालय
HIGH COURT

* वर्णन = अनु. 214 - 231

* 7 वे संशोधन 1956 द्वारा दो या दो से अधिक राज्यो के लिये या संघ शासित क्षेत्रो के लिये एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है।
(दो या अधिक राज्य के लिये संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है।)

* वर्तमान मे उच्च न्यायालय की संख्या 25 है।

* दिल्ली एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। (बाकी का संयुक्त रूप से है।)

* सर्वप्रथम 1862 मे कलकत्ता बम्बई और मद्रास मे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई

* 1866 मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई

* ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय शिक्षित और आपराधिक दोनो ही मामलो मे सुनवाई का अधिकार है।

अनु. 214 = राज्यों के लिये उच्च न्यायालय = प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय होगा।

अनु. 215 = उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना = प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी।

215 → High Court अभिलेख न्यायालय होगा
↳ न्यायालय की अवमानना करने पर दंड का अधिकार High Court के पास है।

अनु.214 उच्च न्यायालयों का गठन = प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-2 पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

अनु.217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उसके पद की शर्तें

(62 वर्ष तक सेवानिवृत्त)

High court के न्यायाधीश की नियुक्ति = राष्ट्रपति करेगा

↓ परामर्श

कॉलेजियम व्यवस्था
⇓
(मुख्य न्यायाधीश + 4 अन्य न्यायाधीश)

(अनु.217 के स्थान पर)

① सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश, ② उस राज्य के राज्यपाल

③ उस राज्य के High court के मुख्य न्यायाधीश (यह तब होगा जब उस High court अन्य न्यायाधीश नियुक्त हो रहे हों)

NOTE = वर्तमान मे कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है। इसके तहत सुप्रीमकोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति व हाईकोर्ट न्यायाधीशों का ट्रांसफर होता है।

217(2) = पद की योग्यता

* भारत का नागरिक हो।
* भारत राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या
* किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो

217(3) = यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे मे कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा

त्यागपत्र (217(1)(a)) ⇒ प्रधानमंत्री

हटाना = वही जो S. कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिये 124(4) अनु. मे दिया हो।

अनु-218 उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित कुछ (अनु-) उपबन्ध का उच्च न्यायालय में लागू होना

अनु- 124 के खंड ④ और ⑤ उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनो मे लागू होगा।

अनु- 219 = उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो का शपथ

शपथ = राज्यपाल द्वारा

अनु-221 न्यायाधीशो का वेतन (संसद द्वारा)

अनु- 222 किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण (ट्रांसफर) (राष्ट्रपति द्वारा)

अनु- 223 (अतिथि) कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति (राष्ट्रपति द्वारा)

अनु- 226 हाईकोर्ट को कुछ रिट जारी करने का अधिकार

NOTE = सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के हनन पर रिट जारी कर सकता जबकि हाईकोर्ट किसी भी मामले मे रिट जारी कर सकता है इसलिए रिट जारी करने की शक्ति हाइकोर्ट के पास ज्यादा है।

अनु-227 सभी न्यायालयो की अधीक्षण की उच्च न्यायालयो की शक्ति

अनु- 230 उच्च न्यायालयो की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रो पर विस्तार

अनु- 231 दो या अधिक राज्यो के लिये एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना

ऐसे उच्च न्यायालय। जिनके दायरे में सबसे ज्यादा राज्य आते हैं।

* Bombay High Court = महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमन दीव, गोवा = 4
* कोलकाता हाई कोर्ट = पश्चिमबंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
* मद्रास हाईकोर्ट = तमिलनाडु, पांडुचेरी
* गुवाहटी हाईकोर्ट = असम, नागालैण्ड, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश
* केरल हाइकोर्ट = केरल, लक्षद्वीप द्वीपसमूह
* पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट = पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़